

स्थानीय शासन

इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न – उत्तर सहित। पहले खुद हल करने की कोशिश करो, फिर उत्तर मिलाओ।

अभ्यास प्रश्न-उत्तर (हर टॉपिक से)

» स्थानीय शासन का महत्व

प्रश्न 1 (आसान). स्थानीय शासन आम आदमी के _____ होता है।

उत्तर – सबसे नजदीक

प्रश्न 2 (आसान). अगर तुम्हारे गाँव में सड़क बनवानी है, तो तुम किस सरकार के पास जाओगे?

उत्तर – स्थानीय सरकार (ग्राम पंचायत)

प्रश्न 3 (मध्यम). गीता राठौड़ ने अपने गाँव में कौन-कौन से विकास कार्य करवाए?

उत्तर – तालाब को पक्का बनवाया, स्कूल की इमारत और गाँव में सड़क बनवाई।

प्रश्न 4 (कठिन). स्थानीय शासन 'लोकतंत्र को मजबूत' कैसे बनाता है? एक उदाहरण दो।

उत्तर – स्थानीय शासन लोगों को सीधा 'decision-making process' में शामिल होने का मौका देता है। जैसे गाँव में किसी योजना पर फैसला लेना हो, तो ग्राम सभा में लोग सीधे अपनी राय दे सकते हैं। इससे 'active participation' यानी सक्रिय भागीदारी बढ़ती है और लोग महसूस करते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाती है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है।

» भारत में स्थानीय शासन का ऐतिहासिक विकास

प्रश्न 5 (आसान). प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की व्यवस्था किस रूप में थी?

उत्तर – 'सभा' और 'पंचायत' के रूप में।

प्रश्न 6 (आसान). ब्रिटिश काल में 'मुकामी बोर्ड' किसने स्थापित किए?

उत्तर – लॉर्ड रिपन ने।

प्रश्न 7 (मध्यम). महात्मा गांधी ने स्थानीय शासन के बारे में क्या कहा था?

उत्तर – उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की बात कही।

प्रश्न 8 (कठिन). 1919 और 1935 के 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट' ने स्थानीय शासन के विकास में क्या भूमिका निभाई?

उत्तर – इन अधिनियमों के बाद कुछ प्रांतों में ग्राम पंचायतें बनीं, जिससे स्थानीय शासन की प्रवृत्ति जारी रही, हालांकि वास्तविक शक्तियां तब भी सीमित थीं।

» संविधान सभा में स्थानीय शासन पर बहस

प्रश्न 9 (आसान). नेहरू जी ने 'अति-स्थानीयता' को किसके लिए खतरा माना था?

उत्तर – राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए।

प्रश्न 10 (आसान). संविधान सभा में ग्रामीण भारत की किस समस्या पर चिंता जताई गई थी?

उत्तर – जाति-पाँति और आपसी फूट पर।

प्रश्न 11 (मध्यम). संविधान सभा में स्थानीय शासन को सीधे संविधान में क्यों नहीं जोड़ा गया, जबकि महात्मा गांधी इसके पक्षधर थे?

उत्तर – देश-विभाजन के बाद केंद्र को मजबूत करने की आवश्यकता और ग्रामीण भारत में मौजूद जाति-पाँति व गुटबाजी के डर के कारण इसे तुरंत संविधान में उचित स्थान नहीं मिला।

प्रश्न 12 (कठिन). डॉ. अंबेडकर के अनुसार, ग्रामीण भारत में किन समस्याओं के कारण स्थानीय शासन का उद्देश्य 'मटियामेट' हो सकता था? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – डॉ. अंबेडकर का मानना था कि ग्रामीण भारत में 'जाति-पाँति' (जाति के आधार पर भेदभाव) और 'आपसी फूट' (लोगों के बीच मतभेद और गुटबाजी) इतनी ज्यादा है कि अगर स्थानीय शासन को पूरी आज़ादी दे दी गई, तो ये बुराईयाँ हावी हो जाएंगी। इससे स्थानीय शासन का मुख्य उद्देश्य, जो कि विकास और जन-भागीदारी है, पूरा नहीं हो पाएगा और गाँव में और ज्यादा टकराव पैदा होंगे। इस प्रकार, स्थानीय शासन का 'उद्देश्य ही मटियामेट' हो जाएगा, यानी उसका असली मकसद ही खत्म हो जाएगा।

» स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन के शुरुआती प्रयास और चुनौतियाँ

प्रश्न 13 (आसान). स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन के लिए पहला बड़ा प्रयास किस वर्ष किया गया था?

उत्तर – 1952 में 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' के तहत।

प्रश्न 14 (आसान). किन दो राज्यों ने 1960 के दशक में चुनाव द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित किए?

उत्तर – गुजरात और महाराष्ट्र।

प्रश्न 15 (मध्यम). सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था?

उत्तर – इसका मुख्य उद्देश्य 'स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी' सुनिश्चित करना था।

प्रश्न 16 (कठिन). स्वतंत्र भारत में स्थानीय निकायों के सामने वित्तीय निर्भरता एक बड़ी चुनौती क्यों थी? समझाओ।

उत्तर – स्थानीय निकाय अपने विकास कार्यों के लिए धन के मामले में पूरी तरह से राज्य और केंद्र सरकारों पर निर्भर थे। उनके पास अपने खुद के संसाधनों से धन जुटाने की शक्ति या साधन नहीं थे, जिससे उनकी कार्यक्षमता सीमित हो जाती थी और वे 'स्थानीय विकास की देखभाल' ठीक से नहीं कर पाते थे।

» 73वां संवैधानिक संशोधन: पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा

प्रश्न 17 (आसान). 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था?

उत्तर – 1992 में

प्रश्न 18 (आसान). यह संशोधन ग्रामीण या शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है?

उत्तर – ग्रामीण स्थानीय शासन से

प्रश्न 19 (मध्यम). 73वें संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या था?

उत्तर – स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाना।

प्रश्न 20 (कठिन). संवैधानिक दर्जा मिलने से पंचायती राज संस्थाओं को क्या लाभ हुआ?

उत्तर – उन्हें संविधान द्वारा सीधे अधिकार और पहचान मिली, जिससे उनकी स्वायत्तता बढ़ी और राज्य सरकारों पर निर्भरता कम हुई। नियमित चुनाव और वित्तीय अधिकार सुनिश्चित हुए।

» पंचायती राज की त्रि-स्तरीय संरचना

प्रश्न 21 (आसान). पंचायती राज का सबसे निचला स्तर कौन-सा है?

उत्तर – ग्राम पंचायत

प्रश्न 22 (आसान). ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है?

उत्तर – पंचायती हलके में पंजीकृत हर वयस्क मतदाता

प्रश्न 23 (मध्यम). मंडल पंचायत किन प्रदेशों में ज़रूरी नहीं है?

उत्तर – जो प्रदेश आकार में छोटे हैं।

प्रश्न 24 (कठिन). ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत और जिला पंचायत, इन तीनों में से कौन-सा पूरे जिले के ग्रामीण इलाके को देखता है?

उत्तर – जिला पंचायत

» पंचायती राज में चुनाव और आरक्षण के प्रावधान

प्रश्न 25 (आसान). पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

उत्तर – 5 वर्ष

प्रश्न 26 (आसान). महिलाओं के लिए पंचायती राज में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं?

उत्तर – एक-तिहाई (लगभग 33%)

प्रश्न 27 (मध्यम). अगर किसी ग्राम पंचायत में कुल 21 सदस्य चुने जाने हैं, तो उनमें से कम से कम कितनी महिलाएँ होंगी?

उत्तर – 21 का $1/3 = 7$ महिलाएँ

प्रश्न 28 (कठिन). पंचायती राज में SC/ST के लिए आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है, और क्या यह अध्यक्ष पदों पर भी लागू होता है?

उत्तर – यह आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, और हाँ, यह अध्यक्ष (सरपंच, ब्लॉक प्रमुख आदि) पदों पर भी लागू होता है।

» पंचायतों को विषयों का हस्तांतरण और ग्यारहवीं अनुसूची

प्रश्न 29 (आसान). संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों के 29 विषयों का उल्लेख है?

उत्तर – ग्यारहवीं अनुसूची

प्रश्न 30 (आसान). क्या 'ग्रामीण विद्युतीकरण' पंचायतों के ज़िम्मे का विषय है?

उत्तर – हाँ

प्रश्न 31 (मध्यम). पंचायतों को 'विषयों का हस्तांतरण' क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है?

उत्तर – यह स्थानीय स्वशासन को मजबूत करता है, क्योंकि गाँव के लोग अपनी ज़रूरतों के अनुसार फैसले ले सकते हैं और विकास कार्यों को अपनी देखरेख में करवा सकते हैं।

प्रश्न 32 (कठिन). अनुच्छेद 243 (छ) पंचायतों को किस प्रकार की शक्ति प्रदान करता है?

उत्तर – यह अनुच्छेद किसी प्रदेश की विधायिका को कानून बनाकर ग्यारहवीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान करने की अनुमति देता है, जिससे पंचायतें अपने तय विषयों पर काम कर सकें।

» राज्य चुनाव आयुक्त और राज्य वित्त आयोग

प्रश्न 33 (आसान). राज्य चुनाव आयुक्त कौन से चुनाव कराता है?

उत्तर – पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) के चुनाव।

प्रश्न 34 (आसान). राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है?

उत्तर – हर पाँच वर्ष पर।

प्रश्न 35 (मध्यम). क्या राज्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग के अधीन काम करता है? समझाएँ।

उत्तर – नहीं, राज्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग के अधीन काम नहीं करता। दोनों स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय हैं, हालांकि उनके कार्य करने का तरीका (निष्पक्ष चुनाव कराना) समान है। वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं।

प्रश्न 36 (कठिन). राज्य वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह स्थानीय निकायों को सशक्त करने में कैसे मदद करता है?

उत्तर – राज्य वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्य व स्थानीय निकायों के बीच राजस्व बंटवारे की सिफारिश करना है। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय निकायों को उनके विकास कार्यों के लिए पर्याप्त और न्यायसंगत धन प्राप्त हो, जिससे वे अपनी परियोजनाओं को स्वतंत्र रूप से लागू कर सकें और

राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो। इस तरह यह स्थानीय स्वशासन को आर्थिक रूप से सशक्त करता है।

» 74वां संवैधानिक संशोधन: शहरी स्थानीय शासन

प्रश्न 37 (आसान). 74वां संवैधानिक संशोधन किस तरह के स्थानीय शासन से संबंधित है?

उत्तर – शहरी स्थानीय शासन (नगरपालिका)

प्रश्न 38 (आसान). 74वें संशोधन में शहरी निकायों के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई?

उत्तर – बारहवीं अनुसूची

प्रश्न 39 (मध्यम). एक शहरी क्षेत्र की पहचान के लिए जनगणना द्वारा निर्धारित किन्हीं दो शर्तों का उल्लेख करें।

उत्तर – कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो, और कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75 प्रतिशत खेती-बाड़ी के काम से अलग पेशे में हों।

प्रश्न 40 (कठिन). 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन में क्या समानताएं हैं? किन्हीं दो का वर्णन करें।

उत्तर – दोनों में प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है, और दोनों में महिलाओं तथा SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। साथ ही, दोनों के लिए राज्य चुनाव आयुक्त और राज्य वित्त आयोग का गठन अनिवार्य है।

» 73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन और प्रभाव

प्रश्न 41 (आसान). 73वें और 74वें संशोधन के बाद कुल कितने नए निर्वाचित प्रतिनिधि सामने आए?

उत्तर – लगभग 32 लाख

प्रश्न 42 (आसान). इन संशोधनों के कारण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना बढ़ा?

उत्तर – स्थानीय निकायों में 13 लाख महिलाएँ निर्वाचित हुईं।

प्रश्न 43 (मध्यम). स्थानीय शासन में महिलाओं के आरक्षण से क्या सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पड़े?

उत्तर – आरक्षण से महिलाओं को 'शक्ति और आत्मविश्वास' मिला। इससे 'राजनीति के काम-धंधे की समझ' बढ़ी और चर्चाओं में 'नया परिप्रेक्ष्य' आया, जिससे निर्णय अधिक संवेदनशील बने।

प्रश्न 44 (कठिन). कुछ आलोचकों का मानना है कि इन संशोधनों ने स्थानीय निकायों को पर्याप्त शक्तियाँ नहीं दीं। आप इस कथन पर क्या सोचते हैं और क्यों?

उत्तर – आलोचकों का तर्क सही है कि अनेक प्रदेशों ने 'अधिकांश विषय स्थानीय निकायों को नहीं सौंपे' थे, जिससे वे 'स्वतंत्रतापूर्वक काम' नहीं कर पाते। उन्हें 'वित्तीय मदद के लिए' केंद्र और राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि, इन निकायों की 'मौजूदगी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि' है, और उन्होंने 'शासन में जनता की भागीदारी' का मंच तैयार किया है, पर वास्तविक सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

» स्थानीय शासन की चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा

प्रश्न 45 (आसान). अगर एक ग्राम पंचायत को सड़क बनाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़े, तो यह कौन सी चुनौती है?

उत्तर – शक्ति का अधूरा हस्तांतरण

प्रश्न 46 (आसान). पंचायत के पास अपना फंड न होना कौन सी चुनौती है?

उत्तर – वित्तीय निर्भरता

प्रश्न 47 (मध्यम). आपके अनुसार, स्थानीय शासन को 'केवल एक एजेंसी' क्यों नहीं होना चाहिए? दो कारण दें।

उत्तर – उसे 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' के लिए 'अधिक शक्तियाँ' मिलनी चाहिए। 'गाँव और शहर के लोगों को फैसला लेने का अधिकार' होना चाहिए कि उन्हें 'कौन सी नीति और कार्यक्रम' अपनाने हैं। अगर वो सिर्फ एक एजेंसी है, तो वो सिर्फ 'केंद्र और राज्य सरकार के विकास-कार्यक्रमों को लागू करेगी, अपने 'स्थानीय मुद्दों' पर 'खुद फैसले' नहीं ले पाएगी।

प्रश्न 48 (कठिन). 73वें और 74वें संशोधन के बाद भी, 'अनेक प्रदेशों ने अधिकांश विषय स्थानीय निकायों को नहीं सौंपे थे'। इस बात का स्थानीय शासन के कामकाज पर क्या असर पड़ा होगा?

उत्तर – इसका असर यह हुआ कि स्थानीय निकाय 'कारगर ढंग से काम' नहीं कर सके। उन्हें 'पूरे अधिकार' नहीं मिले, तो 'इतने सारे जन-प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने' का काम 'प्रतीकात्मक' बनकर रह गया। जनता के पास 'लोक कल्याण के कार्यक्रमों' या 'संसाधनों के आबंटन' के बारे में 'विकल्प चुनने की ज़्यादा शक्ति' नहीं आई। इससे 'वास्तविक विकेंद्रीकरण' नहीं हो पाया।

हल किए हुए उदाहरण (step-by-step)

उदाहरण 1. मध्य प्रदेश के सिहोर ज़िले की जमनिया तालाब ग्राम पंचायत में पीने के पानी की समस्या थी। सरपंच गीता राठौड़ ने इस समस्या का समाधान कैसे किया, और इससे स्थानीय शासन का कौन सा महत्व उजागर होता है?

› स्टेप 1: समस्या पहचानना - 'Drinking water scarcity in Jamaniya Talab Gram Panchayat'. गीता राठौड़ ने गाँव में पीने के पानी की कमी को महसूस किया, जो एक स्थानीय समस्या थी।

› स्टेप 2: स्थानीय स्तर पर समाधान - 'Utilized local resources and manpower'. गीता जी ने ग्राम पंचायत के लोगों को साथ लेकर, स्थानीय संसाधनों और जनशक्ति का उपयोग करके तालाब को पक्का बनवाया।

› स्टेप 3: परिणाम और महत्व - 'Resolved local issue quickly and efficiently'. इस कदम से गाँव वालों को स्वच्छ पानी मिला और उनकी सबसे बड़ी समस्या दूर हुई। यह दर्शाता है कि स्थानीय शासन 'problems solve quickly and with less cost' यानी समस्याओं का तेज़ी से और कम खर्चे में समाधान करता है, क्योंकि वे लोगों के सबसे करीब होते हैं।

उत्तर – सरपंच गीता राठौड़ ने गाँव वालों के साथ मिलकर तालाब को पक्का करवाकर पीने के पानी की समस्या का समाधान किया। इससे 'स्थानीय शासन का महत्व' उजागर होता है कि यह आम आदमी की रोज़मर्रा की समस्याओं को सबसे प्रभावी ढंग से और तेज़ी से सुलझाता है, क्योंकि यह 'आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन' है।

उदाहरण 2. प्रश्न: भारत में स्थानीय शासन के विकास में लॉर्ड रिपन और महात्मा गांधी के योगदान पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।

› पहला चरण: लॉर्ड रिपन के बारे में बताओ। 'आधुनिक समय में, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन् 1882 के बाद अस्तित्व में आए।' लॉर्ड रिपन ने 'मुकामी बोर्ड' बनाए, जो स्थानीय शासन के शुरुआती आधुनिक रूप थे। हालांकि ये बहुत सीमित थे, पर यह पहला कदम था।

› दूसरा चरण: महात्मा गांधी के विचारों पर आओ। गांधीजी का मानना था कि 'आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए।' उन्होंने ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। 'ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है।'

› तीसरा चरण: दोनों के योगदान को जोड़ो। लॉर्ड रिपन ने एक ढाँचा बनाया, जबकि गांधीजी ने उस ढाँचे में असली लोकतांत्रिक भावना भरने की बात की, यानी लोगों को सच में ताकतवर बनाने की बात की। लॉर्ड रिपन ने शुरुआत की, गांधीजी ने उसे दिशा दी।

उत्तर – लॉर्ड रिपन ने 1882 में 'मुकामी बोर्ड' बनाकर भारत में आधुनिक स्थानीय शासन की नींव रखी, जबकि महात्मा गांधी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के विचार से इसे वास्तविक लोकतांत्रिक स्वरूप देने की वकालत की।

उदाहरण 3. संविधान सभा में स्थानीय शासन को कम महत्व क्यों दिया गया? कोई दो मुख्य कारण बताइए।

› पहला कारण यह था कि देश-विभाजन की वजह से देश में बहुत अस्थिरता थी। ऐसे में, नेताओं ने सोचा कि भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए एक 'मजबूत केंद्र सरकार' का होना बहुत ज़रूरी है।

› दूसरा कारण यह था कि डॉ. बी आर अंबेडकर और अन्य कुछ सदस्यों को डर था कि ग्रामीण भारत में 'जाति-पाँति' और 'आपसी गुटबाजी' बहुत ज़्यादा है। उनका मानना था कि ऐसे माहौल में स्थानीय शासन को पूरी आज़ादी देने से गाँव में और ज़्यादा झगड़े और फूट पड़ सकती है, जिससे विकास रुक जाएगा।

उत्तर – संविधान सभा में स्थानीय शासन को कम महत्व देने के मुख्य कारण देश-विभाजन के बाद मजबूत केंद्र की

आवश्यकता और ग्रामीण भारत में जाति-पाँति व गुटबाजी का डर थे।

उदाहरण 4. स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन के लिए किए गए शुरुआती प्रयासों और चुनौतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

› पहला कदम: शुरुआती प्रयास बताएं। सबसे पहले 1952 का 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' था, जिसका उद्देश्य 'स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी' था। इसके बाद 'त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था' की सिफारिश हुई।

› दूसरा कदम: यह भी बताएं कि कुछ राज्यों, जैसे 'गुजरात और महाराष्ट्र' ने 'सन् 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनायी'।

› तीसरा कदम: अब चुनौतियों पर आएं। 'अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी'।

› चौथा कदम: वित्तीय निर्भरता एक बड़ी चुनौती थी – 'ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे'।

› पांचवा कदम: यह भी बताएं कि कई राज्यों ने तो चुनाव करवाए ही नहीं, या 'स्थानीय निकायों के चुनाव समय-समय पर स्थगित होते रहे', और 'कई जगह स्थानीय निकायों को भंग करके सरकारी अधिकारी को जिम्मा सौंप दिया गया'।

› छठा कदम: इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर एक संक्षिप्त और स्पष्ट उत्तर बनाएं।

उत्तर – स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन के लिए शुरुआती प्रयास 1952 में 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' से शुरू हुए, जिसका लक्ष्य 'स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी' बढ़ाना था। इसी पृष्ठभूमि में 'त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था' की सिफारिश की गई। कुछ राज्यों जैसे गुजरात और महाराष्ट्र ने 1960 के दशक में चुनाव द्वारा स्थानीय निकायों की स्थापना की। हालाँकि, इन प्रयासों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय निकायों के पास 'शक्ति इतनी नहीं थी' और वे 'वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे'। अनेक राज्यों ने चुनाव करवाने की आवश्यकता को नहीं माना, या फिर 'चुनाव समय-समय पर स्थगित होते रहे'। कई मामलों में तो स्थानीय निकायों को 'भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारी को सौंप दिया गया'।

उदाहरण 5. 73वें संविधान संशोधन के दो मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट करें।

› पहला उद्देश्य था 'स्थानीय शासन को मजबूत करना'। इसका मतलब था कि पंचायतों को सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि असली शक्तियाँ और वित्तीय अधिकार देना, ताकि वे अपने क्षेत्र का विकास खुद कर सकें।

› दूसरा उद्देश्य था 'पूरे देश में इसके कामकाज तथा बनावट में एकरूपता लाना'। पहले हर राज्य में पंचायतें अलग-अलग ढंग से काम करती थीं, कहीं चुनाव होते थे, कहीं नहीं। इस संशोधन ने एक समान नियम बनाए कि सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था एक जैसी हो।

उत्तर – 73वें संविधान संशोधन के दो मुख्य उद्देश्य थे: स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था के कामकाज व बनावट में एकरूपता लाना।

उदाहरण 6. 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? नाम बताओ।

› सबसे पहले, यह संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है।

› दूसरा, इसमें 'त्रि-स्तरीय' संरचना का प्रावधान किया गया है।

› तीसरा, इन तीनों स्तरों के नाम ग्राम पंचायत, मंडल/तालुका पंचायत और जिला पंचायत हैं।

उत्तर – पंचायती राज व्यवस्था में तीन स्तर होते हैं: 1. ग्राम पंचायत (गाँव स्तर), 2. मंडल/तालुका पंचायत (ब्लॉक स्तर), 3. जिला पंचायत (जिला स्तर)।

उदाहरण 7. एक जिले में कुल 300 पंचायत सदस्य पद हैं। इनमें से कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे? यदि जिले की जनसंख्या में SC का हिस्सा 20% है, तो SC वर्ग के लिए कितने पद आरक्षित होंगे?

› पहला, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है। कुल पद 300 हैं। तो $300 \times \frac{1}{3} = 100$ पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

› दूसरा, SC के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। कुल पद 300 हैं और SC जनसंख्या का हिस्सा 20% है। तो $300 \times 20\% = (300 \times 20) / 100 = 60$ पद SC वर्ग के लिए आरक्षित होंगे।

› ध्यान दें कि इन 60 SC आरक्षित पदों में से भी 1/3 (यानी 20 पद) SC महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, जो कि महिलाओं के कुल 100 आरक्षित पदों का हिस्सा होगा।

उत्तर – महिलाओं के लिए 100 पद और SC वर्ग के लिए 60 पद आरक्षित होंगे।

उदाहरण 8. 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों को सौंपे गए किन्हीं पाँच महत्वपूर्ण विषयों के नाम बताइए और स्पष्ट कीजिए कि ये स्थानीय विकास में क्यों महत्वपूर्ण हैं।

- › पहला विषय: कृषि। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि गाँव की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, और स्थानीय स्तर पर फसलों, सिंचाई और खाद का प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सकता है।
- › दूसरा विषय: पेयजल। गाँव में साफ पानी की उपलब्धता स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए सबसे ज़रूरी है, और स्थानीय पंचायतें पानी के स्रोतों का बेहतर प्रबंधन कर सकती हैं।
- › तीसरा विषय: शिक्षा (प्राथमिक और माध्यमिक)। गाँव के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई सुनिश्चित करना पंचायत का काम है, जिससे साक्षरता बढ़ती है और भविष्य उज्ज्वल होता है।
- › चौथा विषय: ग्रामीण आवास। ज़रूरतमंदों को घर उपलब्ध कराना और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना, जिससे गाँव में सभी के पास सुरक्षित छत हो।
- › पांचवां विषय: सड़कें, पुलिया। गाँवों को जोड़ने वाली सड़कें और पुलिया विकास की रीढ़ होती हैं, जो आवागमन और व्यापार को आसान बनाती हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं।

उत्तर – पंचायतों को सौंपे गए पाँच महत्वपूर्ण विषय कृषि, पेयजल, शिक्षा, ग्रामीण आवास, और सड़कें हैं। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सीधे गाँव के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास से जुड़े हैं, जिनका स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रबंधन और समाधान संभव है।

उदाहरण 9. 73वें संविधान संशोधन के तहत राज्य चुनाव आयुक्त और राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिकाएँ क्या हैं?

- › सबसे पहले राज्य चुनाव आयुक्त की भूमिका समझते हैं: 'राज्य चुनाव आयुक्त' की मुख्य भूमिका पंचायती राज संस्थाओं (जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) के चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से कराना है। वो चुनाव आचार संहिता लागू करवाता है और चुनाव संबंधी सभी निर्णय लेता है ताकि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप न हो।
- › अब 'राज्य वित्त आयोग' की भूमिका देखते हैं: 'राज्य वित्त आयोग' का गठन हर पाँच साल में राज्य सरकार करती है। इसकी मुख्य जिम्मेदारी राज्य में स्थानीय शासन की संस्थाओं (पंचायतों और नगरपालिकाओं) की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना है। यह आयोग राज्य सरकार और इन स्थानीय निकायों के बीच तथा शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच राजस्व (पैसे) के बंटवारे के लिए सिफारिशें देता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय निकायों को उनके कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिलें और धन का आवंटन राजनीतिक आधार पर न हो।

उत्तर – राज्य चुनाव आयुक्त स्थानीय चुनावों को स्वतंत्र रूप से कराता है, जबकि राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्य सरकार व स्थानीय निकायों के बीच राजस्व बंटवारे की सिफारिशें देता है।

उदाहरण 10. 74वें संवैधानिक संशोधन के किन्हीं तीन मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, जो शहरी स्थानीय शासन से संबंधित हैं।

- › पहला प्रावधान है 'प्रत्यक्ष चुनाव'। इसका मतलब है कि शहरों में नगर पालिका या नगर निगम के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे, जैसे गाँवों में पंचायती राज के सदस्य चुने जाते हैं।
- › दूसरा प्रावधान है 'आरक्षण'। शहरी निकायों में महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, ताकि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल सके।
- › तीसरा प्रावधान है 'राज्य चुनाव आयुक्त' का गठन। जैसे हमने 73वें संशोधन में देखा था, वैसे ही शहरी निकायों के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र 'राज्य चुनाव आयुक्त' की होगी, जो चुनाव निष्पक्षता से करवाएगा।

उत्तर – 74वें संवैधानिक संशोधन के तीन मुख्य प्रावधान हैं: प्रत्यक्ष चुनाव, महिलाओं और SC/ST के लिए आरक्षण, और राज्य चुनाव आयुक्त का गठन।

उदाहरण 11. 73वें और 74वें संशोधनों के कारण स्थानीय निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या और महिलाओं के प्रतिनिधित्व में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए?

- › सबसे पहले, यह समझें कि ये संशोधन 'स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा' देने के लिए लाए गए थे।
- › इन संशोधनों के कारण 'हर पांच साल पर चुनाव' अनिवार्य हो गए, जिससे '32 लाख' नए निर्वाचित प्रतिनिधि सामने आए।
- › महिलाओं के लिए 'एक तिहाई सीटों का आरक्षण' लागू हुआ।
- › इसके परिणामस्वरूप, '13 लाख महिलाएँ' इन स्थानीय निकायों में चुनकर आईं, जिनमें '80,000 से ज़्यादा महिला सरपंच' और '30 महिला मेयर' शामिल हैं।
- › अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षण अनिवार्य किया गया, जिससे '6.6 लाख' से ज़्यादा SC/ST सदस्य निर्वाचित हुए।

उत्तर – इन संशोधनों ने देश भर में '32 लाख' से ज़्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक विशाल समूह बनाया, जिसमें '13 लाख' महिलाएँ और '6.6 लाख' SC/ST सदस्य शामिल थे, जिससे स्थानीय शासन में 'जनता की भागीदारी' और 'सामाजिक बुनावट में भारी बदलाव' आया।

उदाहरण 12. मान लीजिए एक गाँव की ग्राम पंचायत ने तय किया कि गाँव में एक छोटी नहर की मरम्मत कराई जाए ताकि खेतों तक पानी पहुँच सके। लेकिन वे यह काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्थानीय शासन के सामने क्या मुख्य चुनौतियाँ हो सकती हैं?

- › पहला, हमें देखना होगा कि क्या पंचायत के पास नहर की मरम्मत के लिए 'पर्याप्त धन' है? अगर नहीं, तो यह 'वित्तीय निर्भरता' की चुनौती है, क्योंकि उन्हें राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ रहा है। किताब भी कहती है, 'स्थानीय निकायों के पास अपना कह सकने लायक धन बहुत कम होता है।'
- › दूसरा, क्या पंचायत के पास 'नहर की मरम्मत का फैसला' खुद से लेने और उसे लागू करने की पूरी शक्ति है? कई बार 'अधिवेशनों को विषयों का हस्तांतरण' नहीं होता, जिससे स्थानीय निकाय 'प्रभावी ढंग से काम' नहीं कर पाते। मतलब, उन्हें पूरे अधिकार नहीं दिए गए हैं।
- › तीसरा, क्या कोई 'बाहरी दबाव' है? हो सकता है कोई 'शक्तिशाली व्यक्ति' या 'राज्य का कोई विभाग' नहीं चाहता कि पंचायत अपने मन से यह काम करे। यह 'सत्ता के संघर्ष' की चुनौती हो सकती है।
- › चौथा, क्या पंचायत के 'कार्यकर्ताओं' के पास इसे 'सही ढंग से लागू' करने का 'ज्ञान' या 'साधन' है? अगर 'कार्यान्वयन की कमी' है, तो अच्छा फैसला भी जमीन पर नहीं उतर पाएगा।

उत्तर – इस स्थिति में मुख्य चुनौतियाँ वित्तीय निर्भरता, शक्ति का अधूरा हस्तांतरण, और कार्यान्वयन की कमी हैं, जो पंचायत को नहर की मरम्मत का काम पूरा करने से रोक रही हैं।

बोर्ड परीक्षा के लिए खास

- स्थानीय शासन के महत्व पर अक्सर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं। गीता राठौड़ और तमिलनाडु की सरपंच वाले उदाहरण याद रखना, इनसे तुम्हारे उत्तर को 'extra weightage' मिलेगा।
- लॉर्ड रिपन के 1882 के सुधार और महात्मा गांधी के विचारों पर अक्सर सीधे प्रश्न आते हैं। इनके योगदान को अच्छे से समझकर जाना।
- यह प्रश्न अक्सर सीधे पूछा जाता है कि 'संविधान सभा में स्थानीय शासन को पर्याप्त महत्व क्यों नहीं मिला?' या 'नेहरू और अंबेडकर के क्या विचार थे?' कारणों को विस्तार से समझाइए।
- यह विषय बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 73वें और 74वें संशोधन की पृष्ठभूमि बनाता है। अक्सर सवाल शुरुआती प्रयासों और उनकी चुनौतियों पर पूछे जाते हैं, खासकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर।
- यह संशोधन आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य प्रावधानों और प्रभावों को अच्छे से याद कर लेना, खासकर 'संवैधानिक दर्जा' का मतलब क्या है।

- 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज की त्रि-स्तरीय संरचना और ग्राम सभा का महत्व बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसे अच्छे से समझना और इसके तीनों स्तरों को याद रखना बहुत ज़रूरी है।
- यह टॉपिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर राज्य चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रता और राज्य वित्त आयोग के कार्यों पर सीधा प्रश्न आता है। दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझें और लिखें।
- शहरी क्षेत्र की परिभाषा के तीनों बिंदु और 73वें व 74वें संशोधन की समानताओं व अंतर पर आधारित प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर आते हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लेना!
- यह टॉपिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इस पर 'दीर्घ उत्तरीय प्रश्न' आते हैं, जिसमें आपको चुनौतियों और भविष्य की दिशा दोनों को समझाना होता है। 'बोलिविया' जैसे उदाहरण का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिससे आपका उत्तर और मजबूत बनेगा।

एक नज़र में रिवीज़न

- › स्थानीय शासन: आम जनता के सबसे करीब, समस्याओं का त्वरित समाधान, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है।
- › प्राचीन सभा, 1882 रिपन का मुकामी बोर्ड, गांधीजी का विकेंद्रीकरण।
- › संविधान सभा में स्थानीय शासन को कम महत्व: केंद्र को मजबूत रखने की इच्छा, अंबेडकर की ग्रामीण गुटबाजी की चिंता।
- › 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम शक्ति, वित्तीय निर्भरता, चुनाव स्थगित
- › 73वां संशोधन (1992): पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, ग्रामीण शासन का सशक्तिकरण।
- › पंचायती राज: ग्राम, मंडल, जिला - त्रि-स्तरीय संरचना; ग्राम सभा अनिवार्य।
- › राज्य चुनाव आयुक्त: स्थानीय चुनाव कराता है। राज्य वित्त आयोग: स्थानीय निकायों की वित्तीय समीक्षा व राजस्व बंटवारा।
- › 74वां संशोधन: शहरी स्थानीय शासन (नगरपालिका), 73वें जैसे प्रावधान, 12वीं अनुसूची।
- › स्थानीय शासन की चुनौतियाँ: वित्तीय, शक्ति हस्तांतरण, सत्ता संघर्ष, कार्यान्वयन की कमी।